



कार्यालय- प्रभागीय प्रबन्धक खनन रामनगर
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग-रामनगर(नैनीताल)।
e-mail : prabharikhanan37@gmail.com PH:- 05947-254537

कादसाएप/ई-मेल द्वारा

पत्रांक- 1452

/ कोसी नदी पुर्नप्रस्ताव

दिनांक- 01.10.2022।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

विषय- जनपद नैनीताल में त0 प0 वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147885/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की File No-8-61/1999-FC(Pt.VI) दिनांक 15 सितम्बर 2022।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, का पत्रांक-File No- 8-61/1999-FC(Pt.VI) दिनांक 15.09.2022 द्वारा जनपद नैनीताल में त0 प0 वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गई बिन्दुवार आपत्तियों का निराकरण कर सूचना मय संलग्नक आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

पत्रांक 1452/ 14/ 9/ 25 / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में मय संलग्न सादर सूचनार्थ प्रेषित-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0 वन विकास निगम, देहरादून।
2. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार-देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रानगर देहरादून।
4. महा प्रबन्धक (कु0मण्डल), उ0 वन विकास निगम, हल्द्वानी(नैनीताल)।
5. वन संरक्षक, (पश्चिमी वृत्त), उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक (प0क्षे0), उ0 वन विकास निगम, रामनगर (नैनीताल)।

o/c

(धीरेश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।

वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की पत्र संख्या—
8-61/1999-F.C. (Pt.VI) दिनांक-15 सितम्बर 2022 द्वारा लगाई आपत्तियों का प्रतिउत्तर:-

KOSI River Proposal no-FP/UK/MINING/147885/2021.

क्र० सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	The forest clearance has been sought for next 10 years whereas the approved mining plan is valid for next 3 years only. The State shall therefore provided/upload the approved mining plan for 10 years.	10 वर्षीय वन स्वीकृति की वैधता दि०- 14.02.2023 तक होने के कारण Mining Plan की वैधता माह फरवरी 2023 (वन स्वीकृति की समाप्ति) तक प्राप्त हुई। आगामी वर्षों (वर्ष 2023 से वर्ष 2028 तक) हेतु Mining Plan की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है तथा स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
2	The details/documents submitted in respect of the observation no. (viii) Of MOEF&CC'S EDS letter dated 10.05.2022 is not legible. A legible copy may be provided/uploaded in the online portal.	सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार आर०बी०एम० की विक्री से अर्जित राजस्व को विभिन्न विभागों को दिया गया है जिसका उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा संरक्षण कार्य के लिए किया गया है। गत 10 वर्षों का विवरण पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-01)
3	DSR has been prepared as per SSMG-2016 Guideline. However, it's required as per the MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019.	खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला-नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं०-1319/खनन 2022-23 /दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से MOEF&CC'S SSMG Guideline-2019 के आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया है, के क्रम में खनन विभाग द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 25.07.2018 की प्रति पुनः ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। जो कि पूर्व में भी आपको प्रेषित की गई है, जो कि पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-02)
4	The cost benefit analysis is not as per the guidelines issued by the Ministry. The same may be provided as per guidelines and on the prescribed format.	लागत लाभ विश्लेषण प्रदत्त गाईड लाईन के आधार पर दिये गये प्रपत्र के अनुरूप ही बनाया गया है। जिसे पुनः संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-03)
5	The State govt has informed that as per the consent/approval of CWLW the Mining activities are being carried out over 91 ha area, whereas, as per the component wise breakup given in the letter dated 02.08.2022, a forest area of 127 ha has been shown suitable for mining. The same needs clarification.	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं०-877/1जी० 2757(नैनी०)/ दिनांक देहरादून 09 अक्टूबर 2012 जो कि पूर्व में भी संलग्न किया गया था के बिन्दु सं०-15 में "मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड की संस्तुति के अनुसार रामनगर के ग्राम मदनपुरी कुर्मी तक उपखनिज क्षेत्रफल प्रतिबन्धित करने पर अनुमानित क्षेत्रफल 181.00 है० में नदी के दोनों ओर 25 प्रतिशत भाग छोड़ने पर लगभग 91.00 है० में शुद्ध वन क्षेत्र में उपखनिज की कार्यवाही की जा रही है।" लिखा गया है जो कि सहायक वन महानिरीक्षक (F.C.) भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय पर्यावरण भवन सी०जी०ओ० काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली को सम्बोधित है के आधार पर क्षेत्र लिया गया है। संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-04)

6	As per the boundaries of the Corbett Tiger Reserve available with the DSS cell (procured form NTCA) the distance of proposed site is 2.80 km from the Corbett Tiger Reserve, Therefore, either there is discrepancy in the boundaries of above PAs or the KML file of the proposed area being used is not correct. The State Govt shall therefore recheck the boundaries/kml file and accordingly take appropriate action keeping in view the distance of proposed site from the Corbett National Park/ Tiger Reserve and Eco-sensitive Zone of the PA.	मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0, आधुनिकीकरण उत्तराखण्ड देहरादून की फाईल नं0-3201 -2डी /1/2020 /Forest department के आधार पर कॉर्बेट टाईगर रिजर्व की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 6.00 किमी0, पवलगढ़ संरक्षित क्षेत्र की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 2.60 किमी0 तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की निकटतम सीमा (हवाई दूरी) 10.50 किमी0 दर्शित है। उक्त प्रमाण पत्र उत्तराखण्ड वन विभाग द्वारा प्रदत्त किया गया है। (संलग्नक-05) उक्त के क्रम में यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि Ministry of Environment and Forest Wild Lifr Division की फाईल नं0-F.No-6-10/2011/WL Dated 19-Dec-2012 के साथ संलग्न गार्ड लाईन के बिन्दु सं0-3.5.1 के अन्तर्गत भी राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से 10.00 किमी0 परिधि के अन्तर्गत तथा बिन्दु सं0-3.33 में टाईगर रिजर्व की सीमा व बिन्दु सं0-3.4 में कन्जरवेशन रिजर्व की सीमा के अन्तर्गत आने पर ही NBWL की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान Eco-sensitive Zone अभी तक प्रख्यापित नहीं हो पाया है। (संलग्नक-06)
7	The State has submitted two proposals simultaneously, one is collection of minor mineral from Dabka River over an area of 112.0 ha and other is collection of minor minerals from Kosi River over an area of 181.0 ha. In this regard it has been observed that the attachment CD with the reply of both proposals has common KML files of CA areas. The kml files of the CA areas pertaining to the instant proposal are required to be submitted separately so that they can be analyzed on DSS portal.	प्रभागीय वनाधिकारी, त0 प0 वन प्रभाग रामनगर को पत्र सं0-1324/खनन सत्र 2022-23/दिनांक 20.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है तथा उनके स्तर से लिखा जाना है।
8	It has also been observed on DSS that one kml file of North Jaspur Range is found duplicate whereas [Upper Kosi (9.02 ha) and Upper Kosi (49.96 ha)], [Guljarpur plot 9 (802 ha) and Guljarpur plot no 9 B (10.06 ha)] and [Aampokhra plot 14 (16.05 ha) and Aampokhra plot 15 B (10.0 ha)] CA sites are found overlapping or have common area with each other. Such ambiguities are required to be addressed before submitting the kml files of CA areas pertaining to the instant proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी, त0 प0 वन प्रभाग रामनगर को पत्र सं0-1324/खनन सत्र 2022-23/दिनांक 20.09.2022 द्वारा अवगत कराया गया है तथा उनके स्तर से लिखा जाना है।

प्रभागीय प्रबन्धक खनन
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,
रामनगर (नैनीताल)।